Permission of Central Government for Varadaraja Swami Gudi project in Andhra Pradesh

33. SHRI SURESH PACHOURI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Government have given their permission to start work on Varadaraja Swami Gudi Project in Andhra Pradesh; and

(b) if not, by when Government propose to grant their permission for the Project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

महानगरों में प्रदूषण

34. **श्री मीर्जा इर्शाद बेग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में महानगरों में वायु तथा जल प्रदूषण की मात्रा क्या है ;

(ख) प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गये हैं और इस संबंध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) गुजरात में बड़ौदा, वापी, अंकलेश्वर, भावनगर तथा अहमदाबाद में प्रदूषण निवारण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं और इस संबंध में भावी कार्यक्रम क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेड. आर. अन्सारी) : (क) हालांकि सल्फर और नाइट्रोजन के आक्साइड्स निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं, फिर भी विलम्बित विविक्त धूल कण अधिक हैं । नदियों के अनुप्रवाह फैलाव में स्थित कुछ महानगरों में जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों से कम है ।

(ख) उठाये गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लगाने के लिए सम्मत किया जाता है और दोषी उद्योगों के विरुद्ध अभियोजन चलाए गये हैं :

(2) बहिस्रावों और उत्सर्जनों के मानक निर्धारित किए गए हैं तथा उद्योगों को निर्धारित मानकों के अनुपालन के लिए निर्देश दिए गए हैं ;

(3) जल स्तरों के मूल्यांकन के लिए नदियों की जल गुणवत्ता का नियमित रूप से प्रबोधन किया जा रहा है ;

(4) सभी प्रमुख नदियों के नदी-बेसिन अध्ययन आरम्भ किए गए हैं ;

(5) प्रदूषण नियंत्रण उपायों की स्थापना के लिए कर प्रोत्साहन दिए जाते हैं ; और

(6) लाइसेंस जारी करने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के स्थान निर्धारण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमोदन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है ।

अब तक 4054 प्रदूषक उद्योगों में से 2076 ने बहिस्राव उपचार सुविधाएं स्थापित की हैं ।

(ग) कदमों और कार्यक्रम में निम्न शामिल हैं :—

(1) अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों की स्थापना/उनका दर्जा बढ़ाना ;

(2) सामूहिक बहिस्राव उपचार सुविधाओं की स्थापना ;

(3) जल और वायु प्रदूषण अधिनियमों को सख्ती से लागू करना ; और

(4) वायु और जल गुणवत्ता का प्रबोधन ।